(10)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 56/2022
मंजू देवी शर्मा पुत्री श्री जगदीश नारायण पत्नि श्री राजेश कुमार शर्मा, मु0पो0 दांतारामगढ, जिला सीकर (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 09.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.02.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 56/2022 पर दिनांक 09.02.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/392—93 दिनांक 10.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/22/184 दिनांक 16.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मंजू देवी शर्मा पत्नि श्री राजेश कुमार शर्मा, मु0पो0 दांतारामगढ, जिला सीकर का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 16.11.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/479 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पिलानी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/22/184 दिनांक 16.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मंजू देवी शर्मा पत्नि श्री राजेश कुमार शर्मा, मु0पो0 दांतारामगढ, जिला सीकर का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 16.11.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 16:11:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

(11)

को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/479 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पिलानी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना नही मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिलानी को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 16:11:12 IST
Reason: SelfAttested